कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन (म.प्र.)

क्र./ 3701 /स्वीप/जि.पं./2020 रायसेन,दिनांकः 01 09 /2020

प्रति,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,

म.प्र. निर्वाचन सदन,

17, अरेरा हिल्स, भोपाल,

मध्यप्रदेश

विषयः 16 जिलों के 25 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव 2020 हेतु स्वीप प्लान तैयार कराने बावत।

संदर्भः 1. आपका पत्र क्रमांक 06/09/स्वीप/उप चु./2020/3517, दिनांक 14.07.2020
2. आपका पत्र क्रमांक 06/09/स्वीप/उप चु./2020/4274, दिनांक 17.08.2020

---000---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चाहे अनुसार 16 जिलों के 25 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव 2020 के संबंध में रायसेन जिले में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 142 - सांची में होने वाले उपचुनाव में स्वीप गतिविधियों के संचालन हेतु स्वीप प्लान तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

25/08/2020

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला रायसेन

पृ.क्र. 3701 /स्वीप/जि.पं./2020 रायसेन,दिनांकः 01/09 /2020

प्रतिलिपि :-

1- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी स्वीप, जिला पंचायत रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

25/08/2020

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला रायसेन

SVEEP PLAN

(Systematic Voters' Education And Electoral Participation)

District Raisen

2020

SVEEP ACTIVITIES & ACHIEVEMENTS

DISTRICT - RAISEN

S.No.	NODAL	ACTIVITIES & DESCRIPTIONS	TARGETS	TIME LINE	ACHIEVEMENTS
1	DISTRICT SVEEP SOCIAL MEDIA NODAL	Advertisements In 2 News Papers, 1 In Every Month For 2 Months	2	Sep., Oct.	
2	BLOCK LEVEL SVEEP SOCIAL MEDIA NODAL	Advertisements In 3 News Papers, 1 In Every Month For 2 Months	6	Sep., Oct.	
3	DISTRICT SVEEP CORE NODAL	Meeting With SVEEP Partners Every Month For 2 Months	2	Sep., Oct.	
4	DISTRICT SVEEP SOCIAL MEDIA NODAL	Meeting With Mobile Service Providers Every Month For 2 Months	2	Sep., Oct.	
5	PRINCIPAL-COLLEGE V. C.-UNIVERSITY (Boudh & AISECT) D.E.O., D.P.C.	Campus Ambassadors - Organized Awareness Camps In Colleges, University & Higher Secondary Schools of concerned Blocks.	As Per	Sep., Oct.	
6	D.P.C. & DISTRICT SVEEP SOCIAL MEDIA NODAL	Hoardings In Every 2 Blocks And 3 Nagariya Nikay And District Places	10	Sep., Oct.	
7	D.P.C.	Pamphlets In Each Block 2000 And In Nagariya Nikay 1000 And District Level	6000	Sep., Oct.	
8	D.P.C.	Stickers For Govt. Vehicles	200	Sep.	
9	C.E.O. & DISTRICT SVEEP SOCIAL MEDIA NODAL	Audio-Visual Show In L.E.D. T/V Of Gram Panchayat And Nagariya Nikay	100	Sep., Oct.	
10	MAHILA BAL VIKAS VIBHAG	Special Camps For Women (at Janpad Level)	3	Sep., Oct.	
11	DDSJ	Shivir For Divyangs At Janpad Level	2	Sep., Oct.	
12	D.E.O. / D.P.C.	ECI - Edutainment Material - CD Circulated To All Higher Secondary Schools & All High Schools of concerned Blocks.	As Per	Sep., Oct.	
13	D.E.O. / D.P.C.	Awareness Brochures Circulated In Higher Secondary Schools, High Schools And Colleges of concerned Blocks.	500	Sep., Oct.	
14	DISTRICT SVEEP CORE NODAL, BLOCK LEVEL	Meeting With Political Parties Minimum 1 Meeting In Every Month For 2 Months	5	Sep., Oct.	
15	DISTRICT SVEEP & BLOCK SVEEP LEVEL NODAL	Involving District And Block Level N.G.O., Various Associations & Voluntary Organizations Appeal To Targeted Group (Then District & Janpad Level Meeting)	3	Sep., Oct.	
16	D.P.C. & BRC	Human Chain At District & Janpad Level	3	Sep., Oct.	
17	D.P.C., D.E.O., BRC, COLLEGE	Quiz Competition District & Janpad Level	3	Sep., Oct.	

हाट-बाजार के दिवसों में संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं विकासखण्ड स्रोत समन्वयक के माध्यम से प्रचार-प्रसार

क्र.	ग्राम का नाम जहां साप्ताहिक हाट लगता है	तहसील का नाम	हाट का प्रकार (बाजार/पशु हाट)	रिमार्क
1	2	3	4	6
1	दीवानगंज	सांची	बाजार हाट	रविवार
2	बेरखेडी चौराहा	सांची	बाजार हाट	बुधवार
3	सलामतपुर (रातातलाई)	सांची	बाजार हाट	शुक्रवार
4	खरबई	रायसेन	बाजार हाट	शुक्रवार
5	नकतरा	रायसेन	बाजार हाट	मंगलवार
6	सांचेत	रायसेन	बाजार हाट	गुरूवार
7	कानपोहरा	रायसेन	बाजार हाट	रविवार
8	सिरसौदा	रायसेन	बाजार हाट	गुरूवार
9	हरदौट	गैरतगंज	बाजार हाट	गुरूवार
10	गढी	गैरतगंज	बाजार हाट	बुधवार
11	देहगांव	गैरतगंज	बाजार हाट	शुक्रवार
12	चांदपुर (गुफा)	गैरतगंज	बाजार हाट	गुरूवार

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन (म.प्र.)

स्वीप कार्यक्रम

1— लिंग अनुपात (जेण्डर रेशो) की कमी दूर करना :— रायसेन जिले का लिंगानुपात 852 है। लिंगानुपात बढ़ाने हेतु जिन मतदान केन्द्रों में महिला मतदाता की संख्या अत्यधिक कम है, उन मतदान केन्द्रों का विश्लेषण कर महिला एवं बाल विकास की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला सशक्तिकरण तथा स्वास्थ्य विभाग के आशा कार्यकर्ता, लीड बैंक एवं विभिन्न स्वसहायता समूहों के माध्यम से लक्ष्य पूर्ति हेतु महिला मतदाताओं को जागरूक कर उनके नाम, फोटो निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने हेतु कार्ययोजना तैयार की गई है। इस कार्य में महिला एवं बाल विकास की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला सशक्तिकरण तथा स्वास्थ्य विभाग के आशा कार्यकर्ता, लीड बैंक एवं विभिन्न स्वसहायता समूहों का सहयोग लिया जावेगा।

2— 18—19 वर्ष आयु समूह में नामांकन बढ़ाना :— उक्त नवीन 18—19 वर्ष के आयु समूह के विद्यार्थियों के नाम जोड़ने हेतु स्कूल/कॉलेज स्तर पर शिविर आयोजन किया जाकर महाविद्यालयों में फॉर्म नं. 06 उपलब्ध कराया जाकर विद्यार्थियों के नाम मतदाता सूची में अंकित कराये जायेंगे। तथा डोर टू डोर सर्वे के दौरान बी.एल.ओ., सुपरवाईजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं ग्राम कोटवार के माध्यम से चिन्हित व्यक्तियों को जोड़ने का कार्य किया जावेगा। साथ ही समाचार पत्रों, बैनर, होर्डिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाकर मतदाताओं के नाम जोड़े जावेंगे।

3— धुंधली, खराब गुणवत्ता, बिना फोटो के बनी हुई सूची व ईपिक में सही फोटो लगाना तथा देना :— डोर टू डोर सर्वे के दौरान बी.एल.ओ. के द्वारा धुंधली, खराब गुणवत्ता, बिना फोटो के बनी हुई सूची व ईपिक में सही फोटो लगाये जाने हेतु मतदाताओं से प्राप्त की जाकर प्राप्त फोटो को निर्वाचक नामावली में समाहित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4— अशुद्धियों, त्रुटियों की पहचान तथा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उनको दूर करना :— उक्त त्रुटियों की सूची प्रबंधक, म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड, भोपाल से प्राप्त की जाकर डोर टू डोर सर्वे के दौरान बी.एल.ओ. के द्वारा उक्त त्रुटियों को दुरूस्त करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही संपादित की जाकर निर्वाचक नामावली में त्रुटि सुधार उपरान्त निर्वाचक नामावली शुद्धिकरण की कार्यवाही की जावेगी।

5— मृत, स्थानान्तरित, वहुल प्रविष्टियों को हटाना :— जिले की नगर पालिकाओं/परिषदों/पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि विगत वर्षों के मृत व्यक्तियों की सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाकर मिलान उपरान्त मृत व्यक्तियों के नाम हटाने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही डोर टू डोर सर्वे के दौरान बी.एल.ओ. के माध्यम से स्थानान्तरित/वहुल प्रविष्टियों को संज्ञान में लेकर हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

6— निर्वाचकों से सम्पर्क कर सम्पर्क विवरण, फोन नंबर, ई—मेल आदि संकलित करना :— डोर टू डोर सर्वे के दौरान मतदाताओं से सम्पर्क कर उनके फोन नंबर, ई—मेल आदि प्राप्त किये जाकर निर्वाचक नामावली में समाहित करने की कार्यवाही की जावेगी।

7— **विद्यमान मतदान केन्द्रों की पार्ट सीमाओं में परिवर्तन और सेक्सनों का मानकीकरण :—** राजनैतिक दलों एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की बैठक आयोजित की जाकर तथा नगर पालिका/परिषद के अनुभवी कर्मचारियों का दल गठित कर पार्ट सीमाओं में परिवर्तन और सेक्सनों का मानकीकरण का सर्वे कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त कर नवीन सेक्सनों/पार्ट सीमाओं मे परिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।

8— **मतदान केन्द्रों का एकीकरण तथा नए मतदान केन्द्रों का सृजन करना :—** राजनैतिक दलों एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की बैठक आयोजित कर आवश्यकता अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव प्राप्त किये जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

9— **भौगोलिक बाधा दूर करना :—** मतदाताओं को भौगोलिक बाधा जैंसे कि नदी, नाला, घने जंगल पार न करना पड़ें तथा 02 किलोमीटर या उससे कम दूरी पार कर मतदान केन्द्रों में पहुंचा जा सके इस संबंध में जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के माध्यम से सर्वे कराया जाकर निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

10— **मतदान केन्द्र में बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता की पहचान कर उनके मानचित्र बनाना :—** आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों में न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं का भौतिक सत्यापन कराया जाकर ऐंसे मतदान केन्द्र जिनमें सुविधाओं का अभाव है, चिन्हित किये जाकर इस संबंध में जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के माध्यम से केन्द्रों की जाँच कराई जाकर संबंधित विभाग प्रमुखों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति हेतु निर्देशित किया जावेगा।

11— **नजरी नक्शा, बूथ क्षेत्र का सुस्पष्ट मानचित्र बनाना सड़क के बूथ मतदान केन्द्रों का लेआउट, वास्तविक फोटो पहुंचाने के तरीके एवं सूचना गूगल मानचित्र की मदद से बनाना :—** जिले में सामान्यतः मतदान केन्द्र शासकीय भवनों में ही हैं। इनके द्वारा गूगल मानचित्र की मदद से अक्षांश—देशांश प्राप्त कर ली गई हैं। उक्त जानकारी भी नक्शों में अंकित की जाकर जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को डिजिटल नक्शे तैयार करवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाकर डिजिटाइजेशन का कार्य करवाया जावेगा।

12— **राजनैतिक दलों को बूथ लेबल एजेंट की नियुक्ति हेतु प्रोत्साहन एवं बूथ लेबल एजेंटों को बूथ स्तर पर संसूचित करना :—** सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को बूथ लेबल एजेंट की नियुक्ति कर उनकी सूची उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा जाकर बूथ लेबल एजेंटों को बूथ स्तर पर संसूचित करने हेतु लिखा जावेगा।

13— वार्ड आर.डब्ल्यू.ए. ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय की बैठक में बूथ जागरूकता समूह के सदस्य एवं बी.एल.ओ. जाकर पुनरावृत्ति वहुल प्रविष्टि, ईपिक नंबर की पुनरावृत्ति, मृतक मतदाताओं की सूची का वाचन किया जावेगा। इन बैठकों का वृत्त रिकार्ड ई.आर.ओ. के पास रखे जाने हेतु सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अवगत कराया जाकर निर्देशानुसार कार्यवाही की जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

14– बी.एल.ओ. के नाम पते व फोन नंबर को बूथ क्षेत्र के भीड़–भाड़ बाले स्थलों पर बैनर/स्टीकर के रूप में चस्पा कराये जायेंगे ताकि मतदाता संबंधित बी.एल.ओ. से सम्पर्क कर अपनी आवश्यक सूचना तथा आवेदन दे सकें। कार्यालय द्वारा विधानसभावार बी.एल.ओ. स्टीकर मुद्रित कराये जाकर सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराये जावेंगे। उक्त स्टीकर उनके प्रभार क्षेत्र के समस्त बी.एल.ओ. को प्रदाय किये जाकर भीड़–भाड़ बाले स्थलों तथा सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

15– निर्देशानुसार मतदाता सूची शुद्विकरण अभियान से संबंधित सूचनायें बैनर, पोस्टर, होर्डिंग के रूप में दर्शित स्थलों पर लगाई जावेंगीं।

16– दिव्यांगजन सामाजिक न्याय विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग :– सामाजिक न्याय विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को कार्यालय द्वारा पत्र जारी कर जानकारी प्राप्त की जा रही है। जो व्यक्ति दिव्यांग होकर 18 + के हैं, उनकी जानकारी सामाजिक न्याय विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त की जा रही है।

17– सर्विस वोटर्स :– थल सेना, जल सेना, वायु सेना, अर्द्धसैनिक बल के जिला एवं राज्य स्तर के कार्यालय, जिला/राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड अधिकारियों को सर्विस वोटर्स की सूची भेजी जाकर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सर्विस मतदाताओं की पुष्टि कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

18– प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता अभियान :– राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली शुद्धिकरण गहन अभियान के प्रचार–प्रसार एवं मतदाता जागरूकता हेतु विधानसभा वार प्रत्येक मतदान केन्द्र तक मतदाता जागरूकता रथ से प्रचार–प्रसार किया जावेगा।

19– राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली शुद्धिकरण गहन अभियान पार्टनर :– जिले के सभी जागरूकता अभियान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, लीड बैंक, दूरसंचार विभाग, आयकर विभाग, कार्पोरेशन, रेडक्रास सोसायटी, जनसम्पर्क विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, शहरी विकास अभिकरण, आबकारी विभाग, खाद्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा विभाग, श्रम विभाग, जनसम्पर्क विभाग आदि अन्य सभी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं को प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता अभियान के अन्तर्गत स्वीप पार्टनर बनाकर जिले के छूटे हुए पात्र मतदाता/18 + के युवक–युवतियों के नाम दर्ज कराने तथा अपने मतदाता सूची में/ईपिक कार्ड में किसी प्रकार की त्रृटि है तो उसे ठीक कराने के लिये उपरोक्त सभी स्वीप पार्टनरों का निम्नानुसार सहयोग लिया जावेगा।

स्वीप कार्यक्रम (लक्षित समूह को मतदान हेतु जागरूक करना)

क्र.	लक्षित समूह	गतिविधि	समय सारिणी	नोडल अधिकारी
1	11 वी एवं 12 वी के बच्चे (कोविड-19 के संबंध में शासन निर्देशानुसार शिक्षण कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में)	(i) कैम्पस एम्बेसडर का गठन/प्रशिक्षण	01 से 05 सितम्बर	जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक/प्राचार्य के माध्यम से कार्रवाई करेंगे
		(ii) निबंध प्रतियोगिता	14 सितम्बर से 15 अक्टूबर	
		(iii) रैली (कम से कम 5 रैलियां)	14 सितम्बर से 15 अक्टूबर	
		(iv) वाद-विवाद, रंगोली प्रतियोगिता	14 सितम्बर से 15 अक्टूबर	
		(v) संकल्प पत्र भरना	14 सितम्बर से 15 अक्टूबर	
2	कॉलेज के बच्चे (कोविड-19 के संबंध में शासन निर्देशानुसार शिक्षण कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में)	(i) कैम्पस एम्बेसडर का गठन/प्रशिक्षण	01 से 05 सितम्बर	प्राचार्य, शा. स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय रायसेन के माध्यम से
		(ii) निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद	14 सितम्बर से 15 अक्टूबर	
		(iii) रैली (कम से कम 5 रैलियां)	14 सितम्बर से 15 अक्टूबर	
		(iv) दौड़ प्रतियोगिता	14 सितम्बर से 15 अक्टूबर	
		(v) नाटक/नुक्कड़ नाटक	5 सितम्बर	
		(vi) EVM/VVPAT का प्रदर्शन	14 सितम्बर से 15 अक्टूबर	
3	विकलांग/दिव्यांग को जागरूक करना	(i) स्पर्श के लिस्ट अनुसार दिव्यांगजनों को शिविर में जागरूक करने हेतु परिचर्चा	20 से 25 सितम्बर	उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग
		(ii) इनकी दौड़ प्रतियोगिता कराना	20 से 25 सितम्बर	
		(iii) वाद-विवाद	20 से 25 सितम्बर	
		(iv) EVM/VVPAT का प्रदर्शन	20 से 25 सितम्बर	

4	मनरेगा मजदूर/PMAYG के हितग्राही/ODF हितग्राही	(i) कार्य स्थल पर प्रचार-प्रसार	13 से 30 सितम्बर	परियोजना अधिकारी, मनरेगा जिला समन्वयक, आवास जिला समन्वयक, एसबीएम
		(ii) उन्हें वोट हेतु प्रेरित करना	13 सितम्बर	
		(iii) प्रधानमंत्री हितग्राहियों को पंचायत स्तर पर बैठक आयोजित करना तथा उन्हें वोट हेतु प्रेरित करना	30 सितम्बर	
		(iv) उनके घरों पर नारे लिखवाना	13 से 30 सितम्बर	
5	स्वसहायता समूह	(i) ग्राम पंचायत स्तर पर एकत्रित करना तथा मतदाता जागरूकता हेतु चर्चा	30 सितम्बर	जिला परियोजना प्रबंधक, एनआरएलएम एवं संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के माध्यम से
		(ii) इन्हें पंचायत में एल.ई.डी. पर मतदान के संबंध में बताना	30 सितम्बर	
		(iii) संकल्प पत्र भरवाना	30 सितम्बर	
		(iv) मतदान के लिए शपथ दिलवाना	30 सितम्बर	
		(vi) गांव की महिलाओं को इनके अध्यक्षों के समूह के माध्यम से प्रेरित करना	13 सितम्बर से 15 अक्टूबर	
		(vii) EVM/VVPAT का प्रदर्शन	13 सितम्बर से 15 अक्टूबर	
		(viii) गीत के माध्यम से जागरूकता अभियान	13 सितम्बर से 15 अक्टूबर	
6	महिला मतदाता (a) गर्भवती महिला (b) छोटे बच्चों के साथ वाली महिला (c) सामान्य महिला	(i) गर्भवती एवं छोटे बच्चों के साथ वाली महिलाओं का चिन्हांकन	13 से 30 सितम्बर	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला परियोजना प्रबंधक, एनआरएलएम
		(ii) घर-घर जाकर इन्हें समझाना	13 से 30 सितम्बर	
		(iii) मतदान दिवस में आंगनबाड़ी भवन पर छोटे बच्चे को रखने की व्यवस्था	13 से 30 सितम्बर	
		(iv) संकल्प पत्र भरना	13 से 30 सितम्बर	
		(v) जो महिलायें वोट देने सामाजिक कारणों से नहीं निकलती हैं, उन्हें समझाना	13 से 30 सितम्बर	
7	पलायन करने वाले लोग	(i) इनका चिन्हांकन करना तथा रजिस्टर तैयार करना	13 से 30 सितम्बर	संबंधित ग्राम पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के माध्यम से एवं श्रम विभाग
		(ii) इन्हें प्रेरित करना कि मतदान से 3 दिवस पूर्व ये आ जाएें	13 से 30 सितम्बर	

8	शहरी उदासीन मतदाता	(i) चिन्हांकन करना	17 से 30 सितम्बर	परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण, संबंधित मुख्य नगर पालिका/पंचायत अधिकारी तथा वार्ड प्रभारी के माध्यम से
		(ii) शहरी उदासीन मतदाताओं को समझाना	17 से 30 सितम्बर	
		(iii) समारोह का आयोजन कर उन्हें उसमें बुलवाना तथा जागरूक करना	5 सितम्बर	
		(iv) मतदान हेतु टोकन व्यवस्था मतदान केन्द्रों पर बनवाना ताकि लाईन लगने की जरूरत ना हो	मतदान दिवस के पूर्व	
		(v) मॉडल मतदान केन्द्र बनवाना	मतदान दिवस के पूर्व	
		(vi) मतदान के दिन मतदान केन्द्र से 250 मीटर की दूरी पर पार्किंग की व्यवस्था	मतदान दिवस के पूर्व	
9	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं मुख्य नगर पालिका/ पंचायत अधिकारी की भूमिका	(i) अतिवृद्ध लोगों को जागरूक करना तथा उन्हें मतदान केन्द्र पर लाने की व्यवस्था करना	अक्टूबर	संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं संबंधित मुख्य नगर पालिका/ पंचायत अधिकारी नगरीय निकाय
		(ii) पलायनकर्ता मजदूरों को मतदान हेतु जागरूक करना	अक्टूबर	
		(iii) उदासीन मतदाता को जागरूक करना	अक्टूबर	
		(iv) नुक्कड़ नाटक	13 से 30 सितम्बर	
		(v) गीत के माध्यम से प्रचार-प्रसार	13 से 30 सितम्बर	
10	हाट बाजार एवं तहसील बाजार द्वारा प्रचार-प्रसार	(i) हाट बाजार एवं तहसील बाजार में बाजार के दिन प्रचार-प्रसार होर्डिंग्स द्वारा, पम्पलेट द्वारा, गीत द्वारा प्रचार-प्रसार	प्रत्येक बाजार दिवस	संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा संबंधित मुख्य नगर पालिका/पंचायत अधिकारी, नगरीय निकाय
		(ii) प्रत्येक बाजार दिवस पर जनपद ADEO/PCO को नोडल नियुक्त कर उनके माध्यम से प्रचार-प्रसार करवाऐंगे	प्रत्येक बाजार दिवस	
		(iii) EVM/VVPAT के प्रदर्शन हेतु समय सारणी अनुसार कार्रवाई करना	सितम्बर, अक्टूबर	

11	ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा	(i) सभी ग्राम पंचायत में एलईडी टीवी हैं। पंचायत प्रत्येक गुरूवार को गांव में महिला एवं विकलांग तथा सामान्य मतदाता को 4 बजे से 5 बजे के मध्य मतदाता जागरूकता संबंधी कार्यक्रम दिखाऐंगे तथा परिचर्चा करेंगे एवं मतदान हेतु संकल्प पत्र भरवायेंगे	प्रत्येक गुरूवार 4 से 5 बजे तक	संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत तथा संबंधित मुख्य नगर पालिका/पंचायत अधिकारी, नगरीय निकाय
		(ii) पंचायत प्रचार-प्रसार हेतु शासकीय भवनों तथा सहमति पर अशासकीय भवनों पर नारा लिखेंगे। प्रति पंचायत कम से कम 20 नारे हों	13 से 30 सितम्बर	
		(iii) जहां राशन बांटा जाता है वहां भी पोस्टर लगाकर गीत के माध्यम से प्रचार-प्रसार हो	प्रत्येक माह में 3 दिवस	
		(iv) नगरीय क्षेत्र में दीवार लेखन की कार्रवाई मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनिवार्य रूप से करें	30 सितम्बर तक	
		(v) होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगाया जाए	30 सितम्बर तक	
		(vi) बाजार के दिन माईक से मतदाता जागरूकता का प्रचार किया जाए	बाजार के दिन	
		(vii) जहां भी होर्डिंग्स का जगह है वहां आचार संहिता शुरू होते ही उस जगह पर मतदाता जागरूकता का होर्डिंग्स लगाये	आचार संहिता लागू होने के तुरंत बाद	
		(viii) रोड साईड, पत्थर आदि स्थानों पर मतदाता जागरूकता अभियान का नारा लिखें	30 सितम्बर तक	

12	पार्टनर विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार	(i) होर्डिंग्स एवं बैनर पोस्टर अनिवार्य रूप से लगाया जाए	30 सितम्बर तक	पार्टनर विभाग :- अधीक्षक मुख्य डाकघर, प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक, डीजीएम बीएसएनएल, प्राचार्य एनएसएस/एनसीसी, महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, प्राचार्य पॉलिटेक्निक/आईटीआई, जिला जनसम्पर्क अधिकारी, प्राचार्य शासकीय कॉलेज, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला परिवहन अधिकारी, उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक
		(ii) दीवार लेखन किया जाए	30 सितम्बर तक	
		(iii) आवश्यकतानुसार 2-2 कैम्प लगाकर मतदाता को जागरूक करना	सितम्बर एवं अक्टूबर	
		(iv) सभी अपने संस्थान में EVM/VVPAT का प्रदर्शन करें	30 सितम्बर तक	
13	विश्वविद्यालय के छात्रों को जोड़ना (कोविड-19 के संबंध में शासन निर्देशानुसार शिक्षण कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में)	(i) कैम्पस एम्बेसडर नियुक्त करना	16 सितम्बर तक	कुलपति बौद्ध विश्वविद्यालय सांची
		(ii) पोस्टर, बैनर से पूरे विश्वविद्यालय में प्रचार-प्रसार	30 सितम्बर तक	
		(iii) दीवार लेखन करवाना	30 सितम्बर तक	
		(iv) कैम्प लगाकर प्रचार-प्रसार करना	सितम्बर एवं अक्टूबर	
		(v) नाटक, संगीत आदि के माध्यम से जागरूकता फैलाना	सितम्बर एवं अक्टूबर	
14	तकनीकी शिक्षा में विद्यार्थियों को जोडना	(i) पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन	30 सितम्बर तक	प्राचार्य पॉलिटेक्निक/आईटीआई
		(ii) सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना	01 सितम्बर से 30 अक्टूबर तक	

15	विधानसभा क्षेत्र सांची में संचालित कारखानों के श्रमिकों को जोड़ना	(i) पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन	30 सितम्बर तक	फैक्ट्री प्रबंधन तथा जिला उद्योग केन्द्र से फॉलोअप एवं श्रम विभाग
		(ii) मतदान हेतु संकल्प पत्र भरवाना	30 सितम्बर तक	
		(iii) उदासीन मतदाताओं को जागृत करना	सितम्बर एवं अक्टूबर	
		(iv) सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता	सितम्बर एवं अक्टूबर	
		(vi) कैम्प के माध्यम से जागरूकता	सितम्बर एवं अक्टूबर	
16	VVPAT मशीनों का प्रदर्शन	(i) अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, ब्लॉक मेडीकल ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपनी गाड़ी से VVPAT मशीन मतदान केन्द्रों में ले जाऐंगे तथा प्रशिक्षक द्वारा मशीन से ट्रेनिंग दिया जाएगा	रूट चार्ट एवं समय सारिणी अनुसार	संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), संबंधित तहसीलदार, संबंधित ब्लॉक मेडीकल ऑफिसर, संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं संबंधित विकासखण्ड स्रोत समन्वयक आदि
		(ii) रूट चार्ट बनाकर अपनी-अपनी गाड़ी से प्रयास करेंगे सभी मतदान केन्द्रों पर पहुंचकर कम से कम 25 प्रतिशत मतदाता को जागरूक करेंगे। अधिकारी फील्ड का कार्य भी करेंगे तथा VVPAT प्रशिक्षण कराऐंगे।		
17	विज्ञप्ति, प्रेस नोट, फोटो, एसएमएस, व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा	(i) दैनिक गतिविधि की फोटो तथा कार्य जन सम्पर्क अधिकारी विधानसभा स्तर से प्राप्त करेंगे	प्रतिदिन	जिला जनसम्पर्क अधिकारी, ई-गवर्नेंस, एनआरएलएम मैनेजर, संबंधित विकासखण्ड स्रोत समन्वयक
		(ii) दैनिक रूप से पेपर में प्रकाशित करेंगे	प्रतिदिन	
		(iii) व्हाट्सएप ग्रुप तथा एसएमएस ग्रुप बनाकर प्रचार-प्रसार करना	प्रतिदिन	
18	मॉडल मतदान केन्द्र एवं टोकन व्यवस्था लागू करना	(i) शहरी क्षेत्र में 50 प्रतिशत केन्द्र मॉडल हो तथा ग्रामीण में 25 प्रतिशत	मतदान दिवस के पूर्व	संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, संबंधित मुख्य नगर पालिका/पंचायत अधिकारी, एवं परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण
		(ii) इसी तरह मॉडल केन्द्र पर टोकन व्यवस्था हो	मतदान दिवस के पूर्व	

19	जागरूकता रथ	(i) विधानसभा क्षेत्र सांची में जागरूकता रथ का मतदान केन्द्रों तथा आस-पास जाकर प्रचार-प्रसार करना तथा VVPAT का प्रदर्शन	सितम्बर एवं अक्टूबर	संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विकासखण्ड स्रोत समन्वयक
20	बूथ अवेयरनेस ग्रुप का गठन	(i) प्रत्येक बूथ हेतु बूथ अवेयरनेस ग्रुप तथा चुनावी पाठशाला बनाया जाना है	30 सितम्बर तक	संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विकासखण्ड स्रोत समन्वयक
		(ii) ग्रुप का बी.एल.ओ. द्वारा प्रशिक्षण तथा ग्रुप द्वारा जागरूकता फैलाना	30 सितम्बर तक	

(i) उपरोक्त समस्त गतिविधियों का संबंधित विधानसभा नोडल अधिकारी संकलन कर जानकारी देंगे।

(ii) सभी गतिविधियों का फोटो ग्राफस तथा संक्षेपिका सोशल मीडिया प्रभारी दैनिक रूप से संकलित कर जन सम्पर्क अधिकारी को देंगे। जन सम्पर्क अधिकारी स्वीप नोडल अधिकारी से प्रमाणित कराकर उसे वेवसाईट पर लोड करेंगे तथा अखवारों में प्रचार-प्रसार हेतु देंगे। अखवार की कटिंग जिला स्वीप नोडल अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

(iii) सभी गतिविधियों का क्रियान्वयन शासन द्वारा कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों जैंसे कि मास्क एवं सेनेटाईजर आदि का उपयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जावे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एवं नोडल अधिकारी (स्वीप)
जिला पंचायत रायसेन

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
तथा अध्यक्ष (स्वीप)
जिला रायसेन

पृ.क्रमांक /निर्वाचन/स्वीप/2020 रायसेन, दिनांक / /2020

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
3. अपर कलेक्टर एवं अति. जिला दण्डाधिकारी, जिला रायसेन।
4. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला रायसेन।
5. निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ... जिला रायसेन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6. उप निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार, ... जिला रायसेन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7. विभाग प्रमुख, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, लीड बैंक, दूरसंचार विभाग, आयकर विभाग, कार्पोरेशन, रेडक्रास सोसायटी, जनसम्पर्क विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, शहरी विकास अभिकरण, आबकारी विभाग, खाद्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा विभाग, श्रम विभाग एवं जनसम्पर्क विभाग जिला रायसेन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत .... जिला रायसेन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9. निर्वाचन पर्यवेक्षक, भारत निर्वाचन, जिला कार्यालय रायसेन।

10. सर्वसंबंधित श्री ....की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कार्ययोजना अनुसार सौंपे गये दायित्वों को समय-सीमा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रगति से समय-समय पर अवगत करावेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एवं नोडल अधिकारी (स्वीप)
जिला पंचायत रायसेन